न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सख्या 2018/00265 (142/2018)

1. नवनत्न पुत्र स्व0 श्री प्रयागचन्द जाति चाचाण निवासी वार्ड नं. 13 नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सीतादेवी पत्नी स्व0 प्रयागचन्द
3. सुभाष पुत्र स्व0 प्रयागचन्द
4. दया गर्ग पुत्री प्रयागचन्द
5. मंजुदेवी पुत्री स्व0 प्रयागचन्द
6. सरोज देवी पत्नी प्रयागचन्द } जाति चाचाण निवासी वार्ड नं. 13 नोहर जिला हनुमानगढ
7. सचिन पुत्र स्व0 सुरेश कुमार
8. राहुल पुत्र स्व0 सुरेश कुमार
9. कुसुम गर्ग पुत्री स्व0 प्रयागचन्द

(जरिये मुखत्यार अपीलाण्ट सं0 2 ता 9 नवनत्न चाचाण पुत्र श्री प्रयागचन्द जाति चाचाण निवासी वार्ड नं. 13 तहसील नोहर जिला हनुमागढ

——अपीलांट

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर जिला हनुमानगढ
2. बिन्दूदेवी पत्नी किशनलाल जाति राणीयावाला साकिन नोहर
3. विद्यादेवी पत्नी द्वारका प्रसाद जाति राणीयावाला साकिन नोहर
4. मदनलाल पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी।
5. गोपीराम पुत्र भोमाराम सेवग निवाासी नोहर जिला हनुमानगढ। –
6. औमप्रकाश
7. महावीर प्रसाद
8. प्रवीण कुमार
9. अशोक कुमार

} पि0 मेघराज जाति ब्राम्हण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

10. मेघराज पुत्र भोमाराम जाति ब्राम्हण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. चौथमल
12. शंकरलाल
13. निरंजनलाल

} पि0 मुकनलाल जाति अग्रवाल निवासी नोहर जिला हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. अशोक कुमार पुत्र मुकनलाल जाति अग्रवाल निवासी नोहर। –रेपोडेन्ट्स

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

Oral w/l Dated 12-4-19

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.04.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 337/2014

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 04.04.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। वादपत्र में रोही मौजा कस्बा नोहर के ख0 नं0 110 की 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी के नाम गैरमुमकिन मण्डी के नाम घोषित कर रिकार्ड में दर्ज करने की उद्घोषणा चाहते हुए प्रतिवादगण नं0 1 ता 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने व विवादित भूमि को रहन बैय एवं मुन्तकिल न करने एवं इकरारनामा आदि बेजा मदाखलत ने करने का अनुतोष मांगा। इस बीच दिनांक 22.09.2017 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें खसरा नं. 110 की 36–3/5 हिस्सा भूमि को राजस्थान सरकार के हक में परित्याग कर यह भूमि, भूमिधारी राजस्थान के समर्पण करने बाबत पेश हुआ, जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र बाबत समर्पण स्वीकार किये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणा का था। जिसमें कथन किया गया था कि विवादित भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम से वर्तमान रनाजस्व रिकार्ड में दर्ज है को मण्डी विकास के लिए अवाप्त की गई थी एवं सम्बन्धित काश्तकारों को अन्यत्र भूमि दी जा चुकी है इसलिए विवादित भूमि को मण्डी क नाम आराजीराज दर्ज किया जावे। दावा विचाराधीन है। दावा में एक प्रार्थना–पत्र प्रयागचन्द जो कि अपीलाण्ट के पूर्व की और से पेश हुआ कि विवादग्रस्त भूमि का भूमिधारी के पक्ष में परित्याग कर चुका है। अतः भूमि आराजी राज दर्ज की जावे। प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पर काट छॉट हाने अधीनस्थ न्यायालय ने संदेहास्पद माना है एवं प्रार्थी के स्वयं उपस्थित

अपील अधिकारी (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने 05.04.2018 को प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आराजी राज दर्ज करने का आदेश दे दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी भूमि को राज्यपक्ष में समर्पित कर दिया है जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में आये तथ्यों एवं अपील की बहस में आए बिन्दूओं पर विचार करते हुए एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में परित्याग के संबंध में जो प्रार्थना–पेश हुआ वह स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया जाकर जरिये वकील पेश किया गया है। इस प्रार्थना–पत्र, में काट छॉट है प्रार्थना–पत्र के साथ जो शपथ–पत्र है उसमें काट छांट है यहां तककि वकालतनामा आदि सभी के उन्वान में काट छॉट है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.02.2018 की आदेशिका में यह अंकित किया है कि भूमि समर्पित करने वाले खातेदार को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र. पेश करना आवश्यक है। प्रार्थना–पत्र में काट छॉट का हवाला देते हुए इसे संदेहजनक अंकित करते हुए खातेदार को यहां उपस्थित होने हेतु पत्रावली में आदेश दिया गया है। आगामी तिथी को पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर होना अंकित करते हुए पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद दिनांक 03.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उक्त संदेहजनक प्रार्थना–पत्र को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उसदिन खातेदार स्वयं उपस्थित नहीं था। अपील की पत्रावली में शामिल छाया प्रति मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार खातेदार प्रयागचन्द की दिनाक 13.10.2017 को मृत्यु हो चुकी थी। जब अधिनस्थ न्यायालय ने एक बार खातेदार की उपस्थिति को वांछित माना तो उक्त आदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जानी चाहिये थी। अपीलाधीन आदेश से पूर्व खातेदार की मृत्यु हो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चुकी थी तथा अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के संबंध में मृत व्यक्ति की खातेदारी भूमि के सबंध में तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिए बिना पारित किया गया है जो नियामनुकूल नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2017 खारिज किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official